बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

पत्रांक– 8 बजट (1) 18/2025......143(नि)......आ० दिनांक– ......09/02....../2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, राज्य स्कीम, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक की योजना, 0110 सुअरों का विकास, विपत्र कोड 02–2403007890110 एवं 2403 पशुपालन, राज्य स्कीम, 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0129 सुअरों का विकास, विपत्र कोड 02–2403007960129 अन्तर्गत कुल ₹ 1,74,87,100/– (एक करोड़ चौहत्तर लाख सतासी हजार एक सौ) रूपये मात्र का आवंटन के संबंध में।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 2084 दिनांक 09.05.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 77 (नि0) आ0 दिनांक 02.09.2025 के क्रम में कुल ₹ 1,74,87,100/– (एक करोड़ चौहत्तर लाख सतासी हजार एक सौ) रूपये मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड– 02–2403007890110			विपत्र कोड– 02–2403007960129			कुल आवंटित राशि (रूपये में)		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13.01–कार्यालय व्यय	65,000	35,000	1,00,000	32,500	17,500	50,000	97,500	52,500	**1,50,000**
2	16.01–प्रकाशन एवं मुद्रण	2,92,500	1,57,500	4,50,000	1,95,000	1,05,000	3,00,000	4,87,500	2,62,500	**7,50,000**
3	20.03– प्रशिक्षण व्यय	2,60,000	1,40,000	4,00,000	1,95,000	1,05,000	3,00,000	4,55,000	2,45,000	**7,00,000**
4	26.01–विज्ञापन एवं प्रकाशन	2,92,500	1,57,500	4,50,000	1,95,000	1,05,000	3,00,000	4,87,500	2,62,500	**7,50,000**
5	31.06– सहायक अनुदान–गैर वेतन	1,85,78,900	1,00,04,100	2,85,83,000	1,23,69,500	66,60,500	1,90,30,000	3,09,48,400	1,66,64,600	**4,76,13,000**
	कुल योग :–	**1,94,88,900**	**1,04,94,100**	**2,99,83,000**	**1,29,87,000**	**69,93,000**	**1,99,80,000**	**3,24,75,900**	**1,74,87,100**	**4,99,63,000**

(एक करोड़ चौहत्तर लाख सतासी हजार एक सौ) रूपये मात्र।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–02 के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, राज्य स्कीम, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक की योजना, 0110 सुअरों का विकास, विपत्र कोड 02–2403007890110 एवं 2403 पशुपालन, राज्य स्कीम, 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0129 सुअरों का विकास, विपत्र कोड 02–2403007960129 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन राज्य स्कीम अन्तर्गत "सूकर विकास योजना" के तहत उन्नत नस्ल के 02 मादा सूअर + 1 नर सूअर के एक इकाई प्रति लाभुक अनुदान दर पर वितरण तथा प्रशिक्षण की योजना हेतु दिया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलमेन्ट ऐजेन्सी (BLDA), पटना के पी0एल0 खाता (संख्या–PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 (2) दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 227/वि०, दिनांक 28.03.2025 एवं 235/वि० दिनांक 01.04.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जायेगी।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग –1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रर्त्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेज दें।

6. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

9/2/26

निदेशक पशुपालन।

ज्ञाप सं0– 8 बजट (1) 18/ 2025 143 (बि) आ० / पटना–15, दिनांक– 09 / 02 /2026

प्रतिलिपि– उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या टी0 ए0 –57–96–97 प0पा0 –9 –46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में/उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट –3909 वि० (2) दिनांक–30.06.99 के प्रसंग में/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा–09/योजना शाखा–10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु) अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।